IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"नई शिक्षा नीति 2020 में प्रशिक्षित विद्यालयी समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका"

सरवन कुमार*

प्रो0 शैला परवीन**

* रिसर्च स्कॉलर, समाज कार्य विभाग, म.गां.का.वि., वाराणसी

** समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सार

नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की महत्ता को समझा गया है कि विद्यालयी बच्चों के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों की शुरूआती पहचान से, बच्चों की शिक्षा, व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं को कम करने एवं उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकता है। शिक्षा नीति में बार–बार प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की स्कूली शिक्षा प्रणाली में भागीदारी के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत् उपायों के माध्यम से कार्य किया जायेगा। जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बाल विकास में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की महत्ता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्वयं के अभ्यास क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में नई शिक्षा नीति और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा की गई है।

* रिसर्च स्कॉलर, समाज कार्य विभाग, म.गां.का.वि., वाराणसी

** समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परिचय– शिक्षा

नई शिक्षा नीति को समझने से पहले हमें शिक्षा के महत्व को जानना बेहद जरूरी है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की एक आवश्यक तत्व है जो समाज के सर्वांगीण विकास को सम्बोधित करती है, समाज की विभिन्न गतिविधियों को समझने के लिए शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, शिक्षा यानी सीखना और सिखाना यह हमारे जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। जो बच्चे के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है, शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, समय काल से ही शिक्षा हमारे समाज में विद्वान है प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व बना हुआ है। शिक्षा ग्रहण करके ही व्यक्ति समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानता है और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए नये–नये आयामों की खोज भी करता है चाहे समस्याएँ देश की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित हो या फिर व्यक्तियों के विकास से।

जिस राष्ट्र (देश) की जनसंख्या जितनी शिक्षित होगी वह राष्ट्र (देश) उतना ही विकसित होगा क्योंकि शिक्षा हमें समस्याओं से सामना करने का हौसला प्रदान करती है, हमारे अज्ञान को ज्ञान की धारा से जोड़ने का कार्य करती है।

वर्तमान समय में शिक्षा मानव विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि हम अपने राष्ट्र को एक उच्च शक्ति बनाना चहाते हैं, जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए और ऐसा तभी सम्भव है जब हम शिक्षा के महत्व को समझने का प्रयास करेगें, शिक्षा केवल हमें नौकरी करने के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि अपने सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक मानी जानी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को अत्याचारों के खिलाफ लड़ना व बोलने की शक्ति देती है। समाज की विभिन्न समस्याओं से निजात पाने के लिए नये–नये क्षेत्रों को खोजने की भी शक्ति प्रदान करती है।

शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय कॉलेज में निश्चित समय तक एवं एक निश्चित योजना के तहत प्रदान की जाती है। डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि– शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है। इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्य प्रदान है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक हैं। समुदाय में रहते है उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्य बनता हैं।''

शिक्षा मानव की आन्तरिक एवं अपने कौशल को पहचानने की शक्ति प्रदान करती है शिक्षा हमारे शारीरिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, संस्कृति संरक्षण एवं सृजन, भावी जीवन की तैयारी, आत्मनियंत्रण शक्ति का विकास, सामाजिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं राष्ट्र विकास आदि को विकसित करने की शक्ति प्रदान करती है।[1]

नई शिक्षा नीति–यह परिस्थिति व समय की माँग के अनुसार संशोधन की गई एक नीति है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित कर के तैयार की गई है। यह नीति रोजगार के अवसर और वैश्विक पारिस्थितिकी में आ रहे बदलावों की वजह से आवश्यक हो गयी है कि विद्यालयी बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वे उसे तो सीखे ही साथ ही वे हमेशा सीखते रहने की कला को भी विकसित कर पाएँ। विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर दिया जाए की बच्चे से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एवं तार्किक ज्ञान रचनात्मक रूप से सोचना भी यह सीखे अर्न्तविषय वस्तु के बीच के सम्बन्धों को समझ पायें अपने बदलते परिवेश में या क्षेत्रों में उपयोग कर पायें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी केन्द्रित हो जो विद्यार्थी की जिज्ञासा एवं कौशल का विकास करे एवं उनमें संवाद और अनुभव करने की शक्ति का विकास करे।

शिक्षार्थी के सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति जो आवशयक है, उनके बीच की खाई को शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से उच्च गुणवत्ता पूर्ण, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों में भी शिक्षा के द्वारा उसमें परिवर्तन लाया जा सके।[2]

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में विशेषकर शिक्षार्थी पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें शिक्षा के मूल्य ढाँचे में परिवर्तन कर लागू किया गया है, इस नीति में वर्ष 2040 तक भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यावस्था का लक्ष्य रखा गया है जो किसी से पीछे नहीं है, शिक्षा नीति में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया है जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित शिक्षार्थीयों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो।

नयी शिक्षा नीति 2020 में सभी विद्यार्थीयों के लिए चाहे विद्यार्थी का निवास स्थान कहीं भी हो परन्तु गुणवत्ता एवं रोजगार पूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इन सभी बातों का शिक्षा नीति में समावेश हमारे भारतीय समृद्धता एवं विविधता के प्रति सम्मान का ख्याल रखते हुए देश की स्थानीय और वैश्विक व्यवस्था के सन्दर्भ में आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जिससे की भारत के युवाओं को देश के विविध स्वरूपों का ज्ञान हो सके जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीक आवश्यकताओं को अद्वितीय कला और ज्ञानवर्द्धक परम्पराओं के बारे में ज्ञानवान बनाएं।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयी स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गये हैं। और प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्ता के स्थान को भी सम्मिलित किया गया है, विद्यालयी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि जब बच्चा विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश करे तो हमें भिन्न–भिन्न बिन्दु का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है, स्कूल के स्तर पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता का बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बार–बार जिक्र किया गया है कि कैसे एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों की मनोसामाजिक समस्याओं को जानने व उनके निवारण में भी भूमिका निभाता है। क्योंकि बच्चों की भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक एवं शिक्षा सम्बन्धी, पर्यावरण सम्बन्धी जो उनके विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, इन सभी समस्याओं में एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नई शिक्षा नीति के 2.9 में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को दर्शाया गया है, कि किस प्रकार से स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा सकता है।

शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, और उनके विकास में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता अपनी अहम् भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वह बच्चे के करियर व विषय चुनाव, एवं विद्यार्थी की समझ को भी विकसित करने पर जोर देगा ताकि इसका सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि जब तक बच्चे को पूर्ण रूप से मार्गदर्शन व उसकी सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं होगा तब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना भी सम्भव नहीं है। इसलिए बच्चे की विकास सम्बन्धी एवं समस्याओं को जानने हेतु नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता की बात की गई है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता पूर्ण प्रशिक्षित होने के साथ–साथ वह समस्याओं के समाधान से पहले उसके कारणों की खोज करने का कौशल भी उसमें होता है, जिससे कि बच्चों व शिक्षकों की समस्याओं में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता भूमिका निभा सकता है।

विद्यालयी बच्चों की मानसिक व सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती हैं उन्हें अपनी समस्याओं के निवारण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कि सभी समस्याओं का निदान हो सके क्योंकि बच्चों से सम्बन्धित समस्याएं कई बार शिक्षक भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। जिससे वह बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर उनसे उनकी सभी समस्याओं पर विचार–विमर्श कर सके। क्योंकि शिक्षा नीति में बाल–विकास एवं उनके सर्वांगीण विकास की ही बात की गई है, और यह भी बताया गया है कि इनके सर्वांगीण विकास में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति में विद्यालयी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूर्ण रणनीति के अनुसार जो भारत सरकार की कवायत या लक्ष्यों का सुनिश्चित

करने के लिए पहले तो विद्यालयी समाज कार्यकताओं की नियुक्ती पर सरकार विचार करे जिससे की प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता विद्यालयी स्तर पर अपना पूर्ण योगदान दे सके। विद्यालयी समाज कार्यकर्ता पूर्ण प्रशिक्षित होता है, इस क्षेत्र की उस कार्यकर्ता को सम्पूर्ण जानकारी होती है, वह पूर्ण कुशल एवं समाज कार्य स्तर पर महत्वपूर्ण पद्धतियों का जानकार होता है जिनका उपयोग एक विद्यालयी समाज कार्यकर्ता करता है।[4]

विद्यालयी समाज कार्य का प्रारम्भ

एक समय था जब बोस्टर्न, न्यूयॉर्क, हार्टफोर्ड इन प्रथम तीन नगरों में विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता की प्रथम नियुक्ती की गयी कि यहाँ के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी यह कारण इसलिए नहीं था कि जनसंख्या में वृद्धि हो गयी परन्तु इसलिए था कि यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में अपनी रुचि रखते थे, और विद्यालयी समाज कार्यकर्ता की नियुक्ती का एक मुख्य कारण यह भी था कि वह विद्यार्थियों से मधुर सम्बन्ध स्थापित करे और उनसे जुड़ी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या उनके परिवेश सम्बन्धित एवं विद्यालय के शिक्षकों की सभी प्रकार की समस्याओं में हस्तक्षेप कर सके जिससे विद्यालयी समाज कार्यकर्ता को उनकी विशेष स्थिति को समझने में कोई समस्या न हो।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

विद्यालयों में बच्चों के संगठित एवं समुचित विकास के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए और भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालयी समाज कार्यकर्ता विद्यालयी संरचना के साथ कार्य करने के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है, जिससे उसे बच्चों से सम्बन्धित एवं शिक्षकों से सम्बद्ध समस्याओं को सुलझाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में उत्पन्न हो रही समस्याओं को वह उनके माता–पिता एवं शिक्षकों आदि से सम्बन्धित समस्या की सामग्री को एकत्रित करता है, जिससे यह समस्या को सुलझाने में सफल रहता है, और बच्चो एवं माता–पिता व अध्यापकों/अध्यापिकाओं एवं विद्यालयी वातावरण में अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है।[6]

बच्चे और विद्यालयी सामाजिक कर्ता के बीच सम्बन्ध

शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चे के मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और जानकारी भरना जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता छात्रों की सेवा सम्बन्धित समस्त कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि करने की कोशिश करता है। कार्यकर्ता सेवार्थी से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नहीं करता है, उसके पास विधार्थी सम्बन्धी जो भी समस्याएँ हैं चाहे वह उसके व्यवहार, एवं विद्यालयी बच्चों में सामायोजन आदि या बच्चे की पारिवार की वजह से उत्पन्न

समस्याएँ या तो माता–पिता इन समस्याओं के बारे में कार्यकर्ता को जानकारी देते हैं या विद्यालय के अध्यापक आदि द्वारा विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजते है, तब समस्या समाधान के बारे में विद्यालयी कार्यकर्ता उस समस्या को जानने के लिए सेवार्थी से सम्पर्क स्थापित करता है, और उसके सर्वांगीण विकास में उत्पन्न हो रही समस्या का समाधान करता है जिससे यह पुनः विद्यालय से अपना सामंजस्य स्थापित करने में सहजता महसूस कर सके।

कार्यकर्ता को विद्यालय के समस्त लोगों से मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। जिससे कि वह दूसरों के सहयोग से बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सके। विद्यालयी समाज कार्यकर्ता के पास जिन बच्चों की समस्याएँ उपस्थित की जाती हैं, कार्यकर्ता के पास विद्यालय के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, सामाजिक संस्थानों, एवं कभी–कभी बालकों के माता–पिता द्वारा भेजी जाती है, अथवा बच्चा स्वयं अपनी समस्या को लेकर विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता के समक्ष जाते हैं।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्य सम्बन्धित कार्य–

1. ऐसे बच्चे जिनका व्यावहार कठिनाइयों से ग्रस्त होता जा रहा है एवं जिनका व्यावहार अब आदत बन गया है।
2. ऐसे बच्चे जो अपने समूह के साथ सम्बन्ध नहीं बना पाते है और उनसे अलग रहते है आपस में बात नहीं करते, विद्यालय जाने से डरते हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है हमेशा दुःख का अनुभव करते हैं।
3. ऐसे बच्चे जो अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं।
4. ऐसे बच्चे जिनमें आकस्मिक रूप से परिवर्तन हो जाता है और आसानी से समझ में नहीं आता है परन्तु उसका अनुमान किया जा सकता है, लेकिन यह दिखाई नहीं देता।
5. ऐसे बच्चे जो विद्यालय से सामन्जस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं एवं जटिलता की स्थिति का सामना करते हैं, विद्यालय को बीच में छोड़कर चले जाते हैं।
6. ऐसे बच्चे जिनको विद्यालय की व्यवस्था से कठिनाइयाँ होती है।
7. ऐसे बच्चे जो मानसिक एवं शारीरिक व चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित हैं तथा अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक आदि से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।[7]

विद्यालयी समाज कार्य के उद्देश्य

कास्टिन के अनुसार विद्यालयी समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य स्कूल के बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना जिससे कि उन बच्चों में क्षमता एवं योग्यता दोनों का विकास हो, और जीवन

पर्यन्त सीखने की तत्परता एवं अपने अन्दर बदलाव को आत्मसात् करने की योग्याता का विकास कर सके। विद्यालयी समाज कार्य का प्रमुख संकेन्द्रण बच्चे का सर्वांगीण विकास एवं सीखने व सोचने की क्षमता तथा समस्या समाधान एवं प्रत्येक क्षेत्र, जैसे सम्प्रेण, सम्बन्धों, संवेगों तथा व्यक्तित्व विकास पर हो।[8]

विद्यालयी समाज कार्य के लक्ष्य

1. अन्य विद्यालय के बच्चे– इन बच्चों की देखभाल और इनकी पूर्व विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इन बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है।
2. उपेक्षित एवं शिक्षा से वंचित बच्चे– 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे जो घर पर रहते हैं वह विद्यालयी समाज कार्य के प्रमुख लक्ष्य होते हैं, ये माता–पिता द्वारा उपेक्षित होते हैं एवं ये सामाजिक व आर्थिक, सांस्कृति दृष्टि से ग्रस्त होते हैं। इनके अभिभावकों में परस्पर विश्वास की कमी होती है। बच्चों की जरूरतों को नगण्य समझा जाता है।
3. शिक्षा से वंचित मध्यमवर्ग समूह के बच्चे– ये बच्चे मध्यम वर्ग के होते हैं। इन बच्चों का सर्वांगीण विकास अभिभावकों के न रहने पर बच्चे को उनकी क्षमताओं या आवश्यकताओं से ज्यादा संरक्षण प्रदान करने से, कठोर अनुशासन रखने से, एवं अभिभावकों की निरंकुशता आदि के कारण सही से नहीं हो पाता है।

अमेरिका के संस्थाओं में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में कार्य किया गया और अपने कार्य के दौरान ही उन्होंने पाया की शिक्षा प्रणाली का उन परिस्थितियों में कोई विशेष मेल–जोल नहीं था जो छात्रों के कक्षा के बाहर के जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने न केवल शिक्षा को छात्रों के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता समझी बल्कि उनमें तालमेल बनाये रखने की आवश्यकतानुसार नये आयामों का अविष्कार भी किया।[9]

भारतीय प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता संघ ने नई दिल्ली की एक उच्चतर माध्यमिक शाला में अपनी एक परियोजना प्रारम्भ करते समय उन विद्यार्थियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिनकी विभिन्न समस्याएं थी या वह विद्यार्थी विभिनन समस्याओं से ग्रस्त थे। जिन्हें विशेष सहायता की आवश्कता थी।[10]

1. पाठशाला को त्याग देने वाले बच्चे।
2. बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए बच्चे।
3. गरीब बच्चे जिनकी विभिन्न समस्याएँ होती हैं।
4. वह बच्चे जिनका व्यवहार समूह से बिल्कुल अलग होता है।
5. वह बच्चे जो अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते हैं।

6. वह बच्चे जिनके परिवार की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है।
7. बच्चे के बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक अथवा शारीरिक विकास में विलम्बन होने से उत्पन्न समस्याएं।

आई0ए0 शैरिफ, टी.वी.एल.वी. रमनैय्या तथा टी. मुरलीधर ने बच्चों में समायोजन से सम्बन्धित कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं।[11]

1. बच्चों के वातावरण से सम्बन्धित तथ्य –

स्कुल के अन्तर्गत–

(i) स्कूल से बच्चों की अनुपस्थिति का दोहराया जाना।

(ii) स्कूल बदलते रहना।

(iii) स्कूल का सही नहीं होना।

(iv) कक्षा का वातावरण सही न होना।

(v) कार्यप्रणाली का अत्यन्त कठिन होना।

(vi) कार्यप्रणाली का अत्यन्त सरल होना।

(vii) स्कूल के अध्यापक का व्यवहार बच्चे के अनुरूप न होना।

परिवार के अन्तर्गत–

(i) गरीब परिवार, (ii) लाभदायक जीवन बिताने वाले, (ii) धनी, (iv) परिवार का आकार बड़ा होना, (v) मनोरंजन की सुविधाओं का न होना, (vi) पिता की मृत्यु अथवा उनकी अनुपस्थिति, (vii) माता की मृत्यु, (viii) केवल एक दो बच्चे का होना।

अनुशासन के अन्तर्गत

(i) कठोर अनुसार का होना

(ii) अन्य भाई–बहनों व अन्य लोगों से जलना।

(iii) माता–पिता की मानसिक समस्याओं का होना।

(iv) प्यार की कमी।

समस्या से ग्रस्त परिवार

(i) लैंगिक असमानता का होना।

(ii) परिवर में लड़ाई झगड़े होना।

(iii) परिवार के सदस्यों द्वारा शराब का अधिक व कम सेना का होना।

शारीरिक विकास से सम्बन्धित तथ्य

(i) अधिक विकास एवं कम विकास होना

(ii) विशेषताओं का पाया जाना।

विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक कार्यकर्ता होता है, जो विद्यार्थी सम्बन्धी व्यवहार, शैक्षिक एवं कक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं, सकारात्मक व्यवहार सम्बन्धी समर्थन, शिक्षकों, माता–पिता और प्राशसकों के साथ–साथ व्यक्तिगत और समूह परामर्श/ चिकित्सा प्रदान करनें में सहायता करता है। स्कूल में सामाजिक कार्यकर्ता स्कूलों के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[12]

शिक्षा व्यक्ति को अपनी जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रेरित करती है और शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है।[13] अध्यापक तथा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उन बच्चों तथा घरवालों से सम्बन्धित होते हैं जो अपनी शैक्षणिक सम्भावनाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और वे सामाजिक दृष्टि से टूट चुके होते हैं।[14]

अध्यापकों के साथ सम्बन्ध

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यापकों का सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए जिससे कि वह एक दूसरे को समझने में कठिनाई महसूस न करे जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके क्योंकि बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है।[15]

माता–पिता के साथ सम्बन्ध–

सामाजिक कार्यकर्ता का सम्बन्ध माता–पिता के साथ मधुर होना चाहिए जिससे कि उनकी बात को स्वीकार करना एवं उनकी समस्याओं को समझना, क्योंकि बच्चे के पूर्ण व्यावहार से यह भी ज्ञात होता है कि वह परिवारिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जिसके कारणों से वह अपने विद्यालय में पूर्ण सामन्जस्य स्थापित नहीं कर पाता हैं। यह सूचना सामाजिक कार्यकर्ता के समक्ष माता–पिता द्वारा ही पहुंचायी जाती हैं।[16]

बच्चे पर शिक्षा का भार–

विद्यालय में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें उत्तरदायित्व का भार वहन करने के लिए विवश किया जाता है। माता–पिता यह सोचते हैं कि इस पीढ़ी के बच्चे आवश्यकता से अधिक योग्य हो गये हैं। अतः अपने बचपन में, 10–12 वर्ष की आयु में उन्हें जो काम करने पड़ते है, आज उनको भी वही काम करने चाहिए। माता–पिता यह नहीं समझ पाते हैं बच्चों पर अधिक भार डालकर उन्हें अन्दर ही अन्दर कमजोर बनाया जा रहा है जिसका असर उनकी शारीरिक विकास पर दिखाई देता है।[17]

बच्चे के साथ कार्यकर्ता के सम्बन्ध

विद्यालयी समाज कार्यकर्ता का उद्देश्य विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों की सहायता पर केन्द्रित होना चाहिए उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी नियुक्ती सभी के कल्याण हेतु की जाती है क्योंकि बच्चा कार्यकर्ता से वैसे सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाता जैसे वयस्क व्यक्ति करता है, बच्चों को कार्यकर्ता को समझने में कठिनाई होती है इसलिए बच्चों एवं कार्यकर्ता का सम्बन्ध एक मधुर सम्बन्ध होना चाहिए। विद्यालयी समाज कार्यकर्ता बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से सम्बन्ध स्थापित न करे बल्कि उसकी नियुक्ती जिस कार्य के लिए की गई है उसको ध्यान में रखते हुए करे। तभी वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है।[18]

विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता सम्बन्धी सेवाएँ

1. संकट हस्तक्षेप प्रदान करना
2. शैक्षणिक सफलता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों का विकास करना।
3. क्रोध प्रबन्धन समाधान में सहायता करना।
4. बच्चों को उचित सामाजिक वातावरण में सामन्जस्य योग्य बनाना।
5. बच्चे की समस्त शारीरिक एवं मानसिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना।
6. बच्चे को इस योग्य बनना जिससे वह अपने आप को और दूसरों को समझ सकें।
7. उसके अन्दर कौशल का विकास करना।

माता–पिता/परिवारों के लिए सेवाएँ–

1. माता–पिता की मानोसामाजिक समस्याओं के साथ काम करना। बच्चे स्कूल के वातावरण को समझ सके।
2. माता–पिता अपने बच्चों को समझ सके।
3. पारिवारिक तनाव को कम करना।
4. माता–पिता की सहायता करना।
5. विद्यालय और सामुदायिक संसाधनों तक पहुँचने और उनका उपयोग करने में योग्य बनाना।

विद्यालयी कर्मियों के लिए सेवाएं

एक विद्यार्थी के अच्छे प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान में रचना (सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, सम्बन्धी आदि) को बेहतर ढंग से समझने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।[19]

निष्कर्ष–

राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं है बल्कि उनके समग्र विकास की बात कही गयी है, जैसे बच्चे की व्यवहार सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सामुदयिक सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, केवल बच्चे को शिक्षा उपलब्ध नही करानी है बल्कि उन्हें विकास सम्बन्धी, व स्वावलम्बी भी बनाने की बात की गई है जिसमें विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका का भी नयी शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है। जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयी समाज कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका है जिससे कि वह विद्यालय सम्बन्धी सभी समस्याओं का अध्ययन करता है और इनका निवारण करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि विद्यालयों के मिशन को आगे बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि यह कार्यकर्ता पूर्ण प्रशिक्षित एवं कौशल व निपुण होता है उसने विद्यालयी समाजकार्य को मास्टर लेवल पर समझा होता है। इसलिए वह विद्यालय के सभी स्तरों जैसे विद्यालय, बच्चे, माता–पिता, अध्यापक, सामुदायिक सम्पर्क आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और नयी शिक्षा नीति के तहत विद्यालयी समाज कर्ता को सम्मिलित भी किया गया, यदि सही समय में विद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाये तो भारत सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकती है।

स्पष्ट है कि भारत में विद्यालयी समाज कार्य की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। क्योंकि विद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

विद्यालयी समाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से बच्चे एवं अध्यापक, समुदाय, एवं विद्यालय के परिवेश के साथ अपने कार्यों का संचालन करता है। वर्तमान भारत में भी विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी महसूस की गई है, क्योंकि उनकी ओर सरकार विशेष ध्यान नहीं किया गया है इसलिए पहले भारत सरकार को समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ती पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा नीति में सामाजिक कार्य पर ध्यान तो केन्द्रित किया गया है परन्तु हमें यह जानना आवश्यक हो

जाता है कि क्या हम सभी समाज कार्य के क्षेत्रों समाज कार्यकताओं की कितनी संख्याओं में नियुक्तियाँ करने सफल हुए हैं।[5]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.education.gov.in
2. https://www.drishtiias.com
3. education.gov.in
4. डॉ0 कुमार गिरीश. (1996). समाजकार्य के क्षेत्र : उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृ. सं. 455
5. फ्रीडलैण्डर, डब्ल्यू0 ए0, इन्ट्रोडक्शन टु सोशल वेलफेयर, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, 1961, पृ. 370
6. फ्रीडलैण्डर, डब्ल्यू.ए. (1961), इन्ट्रोडक्शन टु सोशल वेलफेयर, प्रन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, पृ. 370
7. विन्टर आर. एण्ड सारी, आर.सी., (1965) ''मालपरफार्मेन्स इन पब्लिक स्कूलः ए ग्रुपवर्क एप्रोच'', सोशल वर्क, वाल्यूम 10, सं. 4, पृ. 4
8. कास्टिन लेला वी., एजुकेशन इन ब्राइलैण्ड, डोनाल्ड, कास्टिन लेला बी., अर्थटन, सी.आर. एवं अन्य (1975), कन्टेम्पोरेरी सोशल वर्क : मैक ग्रॉहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, पृ. 15
9. एल.डी. वाल्ड, (1915), दि हाउस ऑन देल्ही स्ट्रीट, हेनरी हाल, न्यूयार्क, 1915, पृ. 106
10. डी. पाल चौधरी, (1980), बाल कल्याण व विकास, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली
11. शरीफ आई.ए. : रमनैय्या, टी.वी.सी. एण्ड मुरली धर, डी. (1981), स्कूल सोशल वर्क, नवरत्न प्रिन्टर्स, मदुराई, पृ. 4750
12. https://www.socialworkers.org
13. मनाहित कार्ल (1943), डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, पृ. 62
14. वारकर अर्नेस्ट (1936), एजुकेशन फॉर सिटिजनशिप, पृ. 9
15. फ्रेडरिकशन एच. (1975), दि चाइल्ड एण्ड हिज वेलफेयर, सैनफ्रान्सिसको, पृ. 75
16. आग्नीज वेनेडिक्ट (1930), ''चिल्ड्रेन एण्ड द कास रोइस'', न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड
17. जेन एफ. कुलवर्ट (1929) ''द विजिटिंग टीचर एट वर्क : न्यूयार्क कामनवेल्थ फण्ड
18. रेक्स ए. स्किडमोर एण्ड एम.सी. धाकरे (1976), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, प्रेंटिस हॉल इ0का0 न्यू जर्सी, पृ. 82
19. https://www.ssway.org/school-ssocial-work.